न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 472–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–2–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, उज्जैन प्रकरण कमांक 25/अ–6/2014–15.

1– वीरेन्द्र कुमार पुत्र रघुवीर खण्डेलवाल
2– सत्येन्द्र कुमार पुत्र रघुवीर खण्डेलवाल
निवासीगण 56 मालवा कॉटन प्रेस,
कम्पाउण्ड आगर रोड, उज्जैन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन
2– तहसीलदार, तहसील उज्जैन
3– पटवारी हल्का कस्बा उज्जैन
4– किशोर छावरा पुत्र मोहन लाल
निवासी 29 दशहरा मैदान उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री विजय गोविंदानी, अभिभाषक,
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक एवं
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदक कमांक 1 से 3
श्री एस.के. बाजपेयी,, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/3/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन के समक्ष मोहन सिंह सिसौदिया द्वारा शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 5654/रीडर–1/2013 उज्जैन दिनांक 7–11–2013 से शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, उज्जैन को भेजी गई । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 25/अ–6/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा यह पाते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में आवेदकगण का नामांतरण प्रभाव में नहीं है, और प्रकरण जांच मद से कम कर नामांतरण मद में दर्ज करने के निर्देश दिये गये । साथ ही पटवारी एवं अभिलिखित भूमिस्वामी को सूचना पत्र के निर्देश दिते हुए गुण–दोष पर प्रकरण में 26–2–2015 की तिथि नियत की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 113/तीन/81 दिनांक 6–9–1983 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19–11–2014 को आवेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किये गये हैं, अतः तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–2–2015 को वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना में आदेश पारित किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 30–चार/1988 में राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–1989 को आधार बनाकर आदेश पारित किया गया है, जबकि उक्त आदेश आवेदकगण के विरूद्ध नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व अभिलेखों में एक बार नाम परिवर्तित करने के पश्चात दोबारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायत के आधार पर तहसीलदार द्वारा कायवाही की जा रही है, जबकि शिकायत के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 7–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–2–2016 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, अतः यह निगरानी निरर्थक होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच की जाकर यह पाते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण द्वारा कभी भी कृषि कार्य नहीं किया गया है, और उनके पक्ष में पारित नामांतरण आदेश को कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया है, और कलेक्टर के आदेश को राजस्व मण्डल द्वारा यथावत रखा गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का स्वत्व नहीं होने से भूमि शासकीय घोषित करने में तहसीलदार द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 7–2–2015 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 28–02–2015 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है और जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी दिनांक 2–8–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है । अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर